

राजस्थान सरकार

(कायदा - 129)

जनरल रूल्स सिविल रूल्स 129 अपेन्डेंक्स फार्म नंबर 8 के
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया जिला - भीलवाड़ा (राज.)

2024/295

क्रिम मुकदमा 1	नंबर मुकदमा 2	तारीख दायर 3	तारीख फैसला 4	पेशी दिनांक 5
111-128 प्रार्थना फा	219/24	26/6/24		15/7/24 21/8/24 12/8/24

अनवान

श्री दीरा पिता श्या भीठा

श्री रमेश पिता मञ्जा भीठा

निवासी कार्या

निवासी कार्या

अधिवक्ता वादी / प्रार्थी / अपीलान्त

अधिवक्ता प्रतिवादी / विपक्षी / रैस्पोंडेंट

डिक्रीदार

पट्टून

श्री सुविल अमर जोशी

श्री

फदे अहकम

नियम 26

अज न्यायालय

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

बिजौलिया जिला भीलवाड़ा

दीरा

बनाम

शेखी




किस्म मुकदमा धारा

111-128

नम्बर

219

सन 2024

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
26/06/2024	<p>प्रार्थना पत्र सीगे से बाद जाँच पेश हुआ। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी जरिये सम्मन मय नकल प्रार्थना पत्र विपक्षी/विपक्षीगणों को जारी हों। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 10/07/2024 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">  उपखण्ड अधिकारी बिजौलिया जिला भीलवाड़ा </p>	
10/7/24	<p>फत्रावली पेश हुरी खमस्त विपक्षीगण की बाद तामील प्राप्त, डिस्टे शामिल किया गया। विपक्षीगण के विरुद्ध एउ पक्षीय आरोप चारित किए गए। फत्रावली वास्ते तलबी 2/8/24 को पेश हो।</p>	
2/8/24	<p>फत्रावली पेश हुइ. अधिवक्ता वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान. के पर हैं। फत्रावली दिनांक 12/8/24 का वास्त निवेदन पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">  उपखण्ड अधिकारी </p>	
12/8/24	<p>फत्रावली पेश हुरी फत्रावली में आरोप चारित किए गए। तलबीलवाट बिजौलिया को तलबी जारी हो फत्रावली फरस्त सुमात तोगे नम्बर के कम तोगे चारित करते हैं।</p> <p style="text-align: center;">  उपखण्ड अधिकारी बिजौलिया जिला भीलवाड़ा </p>	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलियाँ, जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

प्रकरण संख्या :- 219/24

तारीख दायर 26/06/24

हीरा पिता रूपा जी जाति मीणा उम्र व्यस्क निवासी कांस्या तहसील बिजौलियाँ
जिला भीलवाड़ा राज०

.....प्रार्थी

1. रमेश पिता मन्ना मीणा जाति मीणा उम्र व्यस्क निवासी कांस्या तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा राज०
2. कमलेश पिता गोपाल जी जाति मीणा उम्र व्यस्क निवासी कांस्या तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा राज०
3. नोला पिता चतुर्भुज मीणा जाति मीणा उम्र व्यस्क निवासी कांस्या तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा राज०
4. राजु पिता रामचन्द्र मीणा जाति मीणा उम्र व्यस्क निवासी कांस्या तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा राज०

.....विपक्षीगण

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 11-128 रा०ले०रे० एक्ट

:-आदेश:-

दिनांक :- 12/08/24

प्रार्थनापत्र प्रार्थी श्री हीरा मीणा ने जरिये अभिभाषक श्री सुनील कुमार जोशी प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते कि भुमि मौजा ग्राम कांस्या पटवार हल्का कांस्या कलां भुअभिलेख निरीक्षक क्षेत्र कांस्यां तहसील बिजौलियाँ स्थित खाता संख्या 167 पर स्थित आराजी संख्या 634/69 रकबा 0.2266 हैक्टेयर भुमि, स्थित है। विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगड़ा फसाद करते हैं। अतः पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावे साथ में प्रार्थनापत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न हैं।

प्रार्थना पत्र रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गयी और पत्रावली का अवलोकर किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबंदी सम्वत 2073-2076 के अवलोकर से प्रार्थी वादग्रस्त आराजियात का खातेदार/गेर खातेदार काश्तकार हैं। पडोसियान के विवाद करने बाबत शपथपत्र संलग्न हैं। पत्थरगढी से किसी के स्वात्व पर कोई विपरीत प्रभाव नही पडता है।

अतः प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 111-128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट स्वीकार किया मौजा ग्राम कांस्या पटवार हल्का कांस्या कलां भुअभिलेख निरीक्षक क्षेत्र कांस्यां तहसील बिजौलियाँ स्थित खाता संख्या 167 पर स्थित आराजी संख्या 634/69 रकबा 0.2266 हैक्टेयर भुमि की बशामालात पडोसियान के पत्थरगढी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढी शुल्क राशि 100/-रुपये राजकोष में जमा होने पर पलनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावे।

प्रार्थनापत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हों।
आदेश सुनाया गया।



उप खण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज०)

प्रकरण संख्या :- २१७/२४

प्रेषिति :-

तारीख दायर २६/६/२४

तहसीलदार
बिजौलियाँ

विषय :- प्रकरण संख्या २१७/२४ प्रत्थरगढी बाबत।

हीरा पिता रूपा जी जाति मीणा उम्र व्यस्क निवासी कांस्या तहसील बिजौलियां
जिला भीलवाड़ा राज०

.....प्रार्थी

5. रमेश पिता मन्ना मीणा जाति मीणा उम्र व्यस्क निवासी कांस्या तहसील
बिजौलियां जिला भीलवाड़ा राज०
6. कमलेश पिता गोपाल जी जाति मीणा उम्र व्यस्क निवासी कांस्या तहसील
बिजौलियां जिला भीलवाड़ा राज०
7. नोला पिता चतुर्भुज मीणा जाति मीणा उम्र व्यस्क निवासी कांस्या तहसील
बिजौलियां जिला भीलवाड़ा राज०
8. राजु पिता रामचन्द्र मीणा जाति मीणा उम्र व्यस्क निवासी कांस्या तहसील
बिजौलियां जिला भीलवाड़ा राज०

.....विपक्षीगण

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अनवानी प्रकरण में आदेश होकर लेख है कि मौजा ग्राम कांस्या पटवार हल्का कांस्या कलां भुअभिलेख निरीक्षक क्षेत्र कांस्यां तहसील बिजौलियां स्थित खाता संख्या १६७ पर स्थित आराजी संख्या ६३४/६९ रकबा ०.२२६६ हैक्टेयर भूमि, की बशमलात पड़ोसीयान के पत्थरगढी कब्जा जावें। मौके पर पत्थरगढी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जारिये पत्थरगढी कब्जा नही हटाया जावे तथा समक्ष न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें। आदेश पत्थरगढी हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस तय कि जाती है वक्त मौके पर प्रार्थी अदा करेंगा। पत्थरगढी करने से पूर्व पड़ोसी एवं विपक्षीगणों को सुचित करते हुए पत्थरगढी करें।

पत्थरगढी कर पालना रिपोर्ट २० दिन मे आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें।



उप खण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा
बिजौलियाँ